

Ekis

2

34/119

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(क अनुगाग)

दिनांक:

21 अगस्त, 2019

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस0जे0ई-ए-एफ(10)-1/2018
17 मई, 2018 के क्रम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश "मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संबोधित), 2009" के अनुबंध-क, के पैरा संख्या 7(7.1) में आंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि मु0 5000/- (पांच हजार) रुपये प्रति बच्चा, प्रति वर्ष (अधिकतम दो बच्चों तक सीमित) प्रदान की जाती है) को बढ़ाकर मु0 6000/- (छह हजार) रुपये करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र संख्या Fin(c)B(15)-3/2016-L दिनांक 06.04.2017 के अनुसार जारी की जाती है।

3. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

आदेश द्वारा

(निशा सिंह)

अति0 मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार


21 अगस्त, 2019

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त दिनांक: शिमला-02

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजि सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजि सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार।

7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश तथा उनसे अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना की प्रति समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को अनुपालनार्थ उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
8. संरक्षण नस्ति।



(टी0आर0परमार)

अवर सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

4